

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी (भारत)

National Academy of Medical Sciences (India)

छट्टी की अर्जी का फॉर्म

FORM OF APPLICATION FOR LEAVE

- 1. आवेदक का नाम / Name of the applicant:**
- 2. पद/ Post held:**
- 3. विभाग/कार्यालय और अनुभाग / Department**
/Office and Section:
- 4. वेतन / Pay:**
- 5. अभी के पद पर मिलने वाला हाउस रेंट और
कम्पेनसेटरी अलाउंस / House Rent and
Compensatory Allowance drawn in the
Present post.**
- 6. छट्टी का प्रकार और अवधि और जिस तारीख से छट्टी
के लिए आवेदन किया गया है / Nature and period of
Leave applied for and the date from which applied:**
- 7. रविवार और छुट्टियां, अगर कोई हों, जो पहले/बाद में जोड़ी जानी हैं
/ Sundays and holidays, if any, proposed to be
prefixed/suffixed:**
- 8. छट्टी का कारण/Ground on which leave is applied for:**
- 9. पिछली छट्टी से लौटने की तारीख और उस छट्टी का प्रकार और
अवधि / Date of return from last leave and the
nature and period of that leave:**
- 10. मैं ब्लॉक वर्ष के लिए एलटीसी का लाभ उठाने का
प्रस्ताव करता/करती हूँ /I propose/do not propose to
avail myself of LTC for the block year:**
- 11. छट्टी के दौरान पता /Address during the leave:**
- 12. आईडी नम्बर/ ID No.**

आवेदक के हस्ताक्षर (तारीख के साथ)

Signature of the applicant (with date)

13. कंट्रोलिंग ऑफिसर की टिप्पणी/सिफारिश

/ Remarks/ recommendation of the Controlling
Officer:-

हस्ताक्षर (दिनांक सहित)/Signature (with date)

पद का नाम / Designation.....

प्रमाणित किया जाता है कि सी.सी.एस. (छुट्टी) नियम के तहत दिनों के लिए
ईएल/एचपीएल/रूपांतरित अवकाश स्वीकार्य है। | /Certified that EL/HPL/ Commuted Leave
for days from to
..... is admissible under Rule.....of C.C.S. (Leave) Rule.

हस्ताक्षर/Signature:-

पद का नाम /Designation:-

14. मंजूरी देने वाले अधिकारी के आदेश / Orders of the sanctioning authority:-

हस्ताक्षर/Signature:-

पद का नाम /Designation:-

अगर एप्लिकेंट कम्पेनसेटरी अलाउंस ले रहा है, तो ऑर्डर में यह भी बताना चाहिए कि छुट्टी खत्म होने पर सरकारी
कर्मचारी उसी पोस्ट पर वापस जाएगा या उसी तरह का अलाउंस पाने वाली किसी दूसरी पोस्ट पर।/ If the applicant is
drawing compensatory allowance, it should also be indicated in the orders whether on the expiry of
leave, Govt. servant is likely to return to the same post or another carrying similar allowance.

.....
.....
.....
.....

